


27.08.2024 - पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण राजेश स्वाम उपस्थित आए। अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की वादी व प्रतिवादी के मध्य में लोक अलालत की भावना से प्रेरित होकर आपस में राजीनाम हो गया है इसलिए वाद पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते। इसलिए वाद पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज (विद्धा) फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण द्वारा की गई। उक्त वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादपत्र मौजूदा सूरत में विद्धा (खारिज) किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

